आदेश क्रमांक दिनांक	कार्यवाही	पक्षकारों एवं अभि... के हस्ताक्षर
18—9—14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस के अवस्थी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रश्मी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उभयपक्षों को प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क का बिंदु उठाया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने रिव्यू की अनुमति दी गई है जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । इस संबध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) एवं 2007 आर0एन0 77 का हवाला दिया गया है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवैधानिक तरीके से कार्यवाही की जा रही है । उक्त आधार पर उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने तथा स्थगन दिए जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि एस.डी.ओ द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात आवेदक विचारण न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं इस कारण इस निगरानी का अब कोई औचित्य नहीं है अतः निगरानी अग्राह्य की जाये । 2— उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है वह विधिसम्मत है या नहीं । आलोच्य आदेश पत्रिका दिनांक 4—9—14 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने	

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3169--तीन / 14

जिला - शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही या आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व के तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.9.98 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है। के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना प्रदान की गई है जो संहिता की ... के प्रावधानों के विपरीत है । ... न्यायदृष्टांत 2000 आर.एन. 76 में माननीय उच्च न्यायालय ... यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मंडल या अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा ... जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र निर्वाहित किया जाना और उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। ... की व्यवस्था न्यायदृष्टांत 2000 ... विद्वान अध्यक्ष द्वारा दी गई है। ... प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिपक्ष (आवेदक) को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमति प्रदान की गई है जो उक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य मे विधिसम्मत नहीं है । चूंकि इस निगरानी में ... कोई बिंदु विचारणीय नहीं है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का ... आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आवेदक को सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देकर अनुमति के संबंध में विधिवत ... निर्देश ... यह निगरानी निराकृत की जाती है।	

सदस्य

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी

कु0 भावना पुत्री मदनलाल अग्रवाल,
निवासिन- कस्बा नरवर, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

------- आवेदक

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन

2- अरविन्द जैन पुत्र प्रमोद चन्द जैन,
निवासी - वार्ड नम्बर-10, नरवर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी म0प्र0

------- अनावेदक